N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0291 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 16/12/2024 17:58 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): मंगलवार Date From (दिनांक से): 12/11/2024 Date To (दिनांक तक): 12/11/2024

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 13:50 बजे Time To (समय तक): 16:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 16/12/2024 Time (समय): 15:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 16/12/2024 17:58:19 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 2 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): MAHILA POLICE THANA BHARATPUR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** AMIT SINGH

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 13/01/1989 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VILLAGE/POST-DHORMUI, BHARATPUR, UDHYOG NAGAR(BHARATPUR), BHARATPUR, RAJASTHAN, 321025,
2	स्थायी पता	VILLAGE/POST-DHORMUI, BHARATPUR, UDHYOG NAGAR(BHARATPUR), BHARATPUR, RAJASTHAN, 321025,

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	JAYSINGH		पिता:RAMESH SINGH	1. BARKOLI,UCHHAIN,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA
2	BHANWAR SINGH		पिता:MOTI SINGH	1. MACHEE,KARAULI,RAJASTHA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,71,700.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,71,700.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

वाक्यात मामला हाजा इस प्रकार है कि दिनांक 12.11.2024 को मन् अति. पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को जरिये सूत्र सूचना मिली कि महिला पुलिस थाना भरतपुर में पदस्थापित भंवरसिंह थानाधिकारी व उनके रीडर जयसिंह द्वारा अपने महिला पुलिस थाना पदस्थापन के दौरान अवैध रूप से अर्जित राशि महिला पुलिस थाना में बने रीडर कक्ष की अलमारी में व थानाधिकारी निवास पर रखी हुई है । यदि अभी तुरंत तलाशी ली जाये तो भारी राशि मिल सकती है । उक्त सूचना पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान को तलब कर परिचय प्राप्त कर मन अति पुलिस अधीक्षक अमित सिंह मय हमराही जाप्ता श्री दिलीप कुमार कानि0 610, श्री सुशील कुमार कानि0 557, श्री परसराम कानि0 203, श्री गोकुलेश कानि0 454, श्री देवेन्द्र कानि0 221, श्री सुरेश कुमार कानि0 185, श्रीमति शगुन महिला कानि0 43 मय स्वतंत्र गवाहान निजी कार एवं सरकारी गाडी टवेरा मय चालक विजयसिंह कानि0 339 से मय सरकारी लेपटॉप , प्रिन्टर , विडियो कैमरा मय मैमोरी कार्ड के मुताबिक सूचना के कार्यालय से रवाना होकर सूचना अनुसार कलेक्टर ऑफिस , सारस चौराहा से होते हुए महिला पुलिस थाना भरतपुर पहुंचा।मन अति0 पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सरकारी विडियो कैमरा से श्री गोकुलेश कानि0 के माध्यम से विडियो ग्राफी प्रारम्भ करवाई जाकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए महिला पुलिस थाना भरतपुर में प्रवेश किया । जहां मुताबिक सूत्र सूचना महिला पुलिस थाना भरतपुर के रीडर कक्ष में उपस्थित कर्मचारीको अपना एवं हमराहीयान का परिचय देते हुये नाम पूछा तो पदस्थापित रीडर जयसिंह रीडरकक्ष में उपस्थित मिला जिसने अपना नाम पता जयसिंह पुत्र स्व0 श्री रमेश सिंह जाति जाट उम्र 38 साल निवासी बरकोली पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर हाल कानि0 1607 थानाधिकारी महिला पुलिस थाना भरतपुर का रीडर होना बताया और कक्ष के संबंध में पूछा तो रीडर कक्ष होना बताया एवं रीडर कक्ष में रखी हुई अलमारी के संबंध में पूछने पर बताया कि इस अलमारी में थानाधिकारी महिला थाना भरतपुर की अनुसंधान पत्रावलियां रखी हुई है। कक्ष में रखी अलमारी में चाबी पूर्व से लगी हुई है । महिला थाना पर उपस्थित कर्मचारीगण से थानाधिकारी के संबंध में पूछा तो अपने सरकारी क्वार्टर 02 में होना बताया । जिस पर श्री परसराम कानि0 203, एवं श्रीमति शगुन महिला कानि0 43, श्री सुशील कुमार कानि0 557, श्री सुरेश कानि0 185 को सरकारी क्वार्टर से थानाधिकारी को लेकर आने के लिये रवाना किया गया। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान से रीडर कक्ष में रखी हुई अलमारी की तलाशी प्रारम्भ की गई । तलाशी के दौरान अलमारी में रखी पत्रावली बाहर निकालकर तलाशी ली गई । इसके बाद अलमारी की ऊपरी रैक की तलाशी ली गई जिसमें एक साफा के पीछे कुछ लिफाफे व एक कपडे की थैली में नगदी रखी हुई मिली । लिफाफो पर अलग- अलग संख्या अंकित है एवं रंग खाकी है । जिनको स्वतंत्र गवाहान अलमारी से बाहर निकलवाकर बैड पर रखवाया गया । इसी दौरान सुशील कानि व सुरेश कुमार कानि थानाधिकारी भंवरसिंह को अपने साथ लेकर उपस्थित आये एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सरकारी क्वार्टर की निगरानी हेतु श्री परसराम कानि, एवं श्रीमति शगुन महिला कानि0 को छोडा गया। महिला थाना रीडर कक्ष में उपस्थित आये थानाधिकारी श्री भंवरसिंह उप निरीक्षक को अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुये नाम पता पूछा गया तो अपना नाम भंवरसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत उम्र 59 साल निवासी माची पुलिस थाना सदर करौली हाल उपनिरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना महिला थाना भरतपुर होना बताया । तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान से अलमारी में मिली कपडे की थैली में नगदी व लिफाफां में रखी नगदी को गिनवाया गया जो निम्न प्रकार है । क्र0स0 लिफाफे पर अंकित विवरण नोटों का प्रकार कुल नोट राशि 1. कपडे की थैली जिस पर सैनी मिष्ठान भण्डार लिखा हुआ । 500/- 230 1,15,000/- 2. 157/24 500/- 10 5,000/- 3. 160/24 500/- 16 8,000/- 4. 106/24 500/- 6 3,000/- 5. सोनपाल पहलवान 500/- 48 24,000/- 6. 108/24 200/- 50 10,000/- 7. 143/24 500/- 100 50,000/- 8. 189/24 500/- 30 15,000/- 9. 185/24 500/- 38 19,000/- 10. 19/24 500/- 136 68,000/- 11. 152/24 500/- 40 20,000/- 12. 196/24 500/- 60 30,000/- 13. 142/24 500/- 44 22,000/- 14. 190/24 500/- 9 4500/- 200/- 5 1000/- 100/- 2 200/- 15. 194/24 भागीरथ 500/- 120 60,000/- योग - 4,54,700/- उक्त राशि के संबंध में रीडर जयसिंह से पूछा गया तो जयसिंह अपने आप को थानाधिकारी का रीडर होना बताया एवं रूपये के बारे में पूछा तो कपडे की थैली में रखे हुये रूपये को अपने निजी बताया । मेरी पत्नी अपने भाई की शादी में धौलपुर गई हुई है। घर पर देखरेख करने वाला कोई नही है ।

इसीलिए रूपये साथ लेकर आया था। यहां अलमारी में रख लिये थे । मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जयसिंह से उक्त राशि किसी से लेने व खाते से निकालने के बारे में पूछा तो जयसिंह रीडर ने बताया कि 20 हजार किसी से लाया हॅू और राशि की याद नही है । मेरे मकान का काम चल रहा है । जयसिंह रीडर कोई स्पष्ट जवाब नही दे पाया । रीडर जयसिंह ने पुनः बताया कि मेरे पास 1,50,000/- रूपये थे जिनमें से 38 हजार रूपये साला रिकू 15-20 दिन पहले यही देकर गया है । बाकी रूपये मेरे खुद के है । उक्त रीडर जयसिंह से अलग-अलग लिफाफे में रखी हुई राशि के संबंध में पूछा तो जानकारी नही होना बताया । तत्पष्चात थानाधिकारी भंवरसिंह से उक्त राशि के संबंध में पूछा तो जयसिंह को अपना रीडर होना बताते हुये कमरा एवं अलमारी का उपयोग जयसिंह द्वारा किया जाना बताया एवं राशि के संबंध में कोई जानकारी नही होना बताया। थानाधिकारी से लिफाफो पर अंकित संख्याओं के संबंध में पूछा तो कोई जानकारी नही होना बताया एवं इस संबंध में जयसिंह की बता सकता है । वीडियोग्राफी श्री गोकुलेश कानि से बंद करवाई गई । इसके बाद जयसिंह रीडर से लिफाफो पर लिखी संख्या के संबंध में पूछा तो मुकदमा नम्बर लिखा होना बताया एवं सोनपाल लिखे हुये लिफाफे के संबंध में जुरायम रजिस्टर देखकर एफआईआर संख्या 150/24 से संबंधित होना बताया। तत्पश्चात उक्त 14 खाकी लिफाफों के ऊपर लाल स्याही से क्रम संख्या एवं नोटों व कुल राशि का विवरण अंकित किया गया एवं संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये और इन लिफाफो की राशि को प्रथक से पीले रंग के लिफाफों के अंदर रखवाया जाकर वही क्रमांक एवं विवरण लाल स्याही से अंकित किये गये । उक्त समस्त खाफी लिफाफों को पॉलीथिन बैग में रखकर जप्त किया गया । सफेद कपडे की थैली में मिली राशि को भी एक अन्य पीले लिफाफे में रखवाया गया । इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान व महिला थानाधिकारी भंवरसिंह को साथ लेकर पास में स्थित थानाधिकारी सरकारी आवास की तलाषी हेतु पैदल-पैदल रवाना हुआ । थानाधिकारी के सरकारी आवास पहुंचा जहां पर पहले से रवानाषुदा श्रीमति शगुन महिला कानि व श्री परसराम कानि उपस्थित मिले । श्री गोकुलेश कानि से वीडियो ग्राफी पुनः चालू करवाई जाकर तलाशी हेतु आवास में प्रवेश किया। जहां थानाधिकारी भंवरसिंह की पत्नी श्रीमति कृष्णा उपस्थित मिली जिनको मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय स्वतंत्र गवाहान के आने का प्रयोजन बताकर तलाशी प्रारम्भ की । सरकारी आवास में तीन कमरे, एक स्टोर रूम, किचन, लेट-बाथ, चौक हैं। प्रथम कमरे में तलाशी स्वतंत्र गवाह से लिवाई गई तो पूजा कक्ष हो पूजा का सामान व एक फ्रीज रखा हुआ है । उक्त कमरे में कोई संदिग्ध वस्तु व नगदी नही मिली । इसके बाद दूसरे कमरे में रखे बैग की तलाशी गवाह से लिवाई गई तो लिफाफे में रखी नगदी एवं कपडे की थैली में रखा हुआ स्त्री धन मिला । इसके बाद रसोई में गैस चुल्हा मय सिलेण्डर व खाना खाने व खाना बनाने के बर्तन मिले । स्टोर रूम में स्टेप्लाईजर पॉवर गार्ड का रखा हुआ है। सरकारी आवास में प्रवेश करने वाले कमरा नं 03 में एक वोल्टास कम्पनी की एसी मय वीगार्ड का स्टेप्लाईजर लगी हुई हैं एवं सोने के लिए खटिया थी । इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह से कमरा नं0 02 में मिली राशि को गिनवाया गया जो निम्न प्रकार है । क्र0स0 लिफाफे पर अंकित विवरण नोटों का प्रकार कुल नोट राशि 1. कपडे की थैली सफेद 500/- 44 22,000/- 2. कमरे में रखे बैग में मिले लिफाफे की राशि 500/- 60 30,000/- 3. दूसरे बैग में रखी कपडे की थैली 500/- 60 30,000/- 4. एक लिफाफा 500/- 70 35,000/- योग 1,17,000/- उक्त राशि के संबंध में थानाधिकारी भंवरसिंह ने उक्त राशि खेतीवाडी की फसल बेचने व तनखा के होना बताया । फसल बिक्री के संबंध में रसीद व बिल मैंने नही लिया, ना ही मेरे पास है । तनखा अपने खाते से पांच-छः महीने पूर्व 60-65 हजार रूपये निकालना बताया। जवाब संतोषप्रद नही पाया जाने पर थानाधिकारी निवास में मिली राशि 1,17,000/- रूपये को कब्जा एसीबी लिया गया । कमरा नं 02 में मिले जेवरात के संबंध में थानाधिकारी भंवरिंसह व उनकी पत्नी श्रीमति कृष्णा ने स्वर्ण आभूषण होकर वजन करीब 90 ग्राम होना बताते हुये स्वयं की शादी में श्रीमति कृष्णा के पिता द्वारा देना बताया । उक्त आभूषण के संबंध में जवाब संतोषप्रद पाया जाने पर श्रीमति कृष्णा को उनका स्त्रीधन वापिस लौटाया गया ।इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाह के रवाना होकर महिला थाना उपस्थित आया। इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह व थानाधिकारी भंवरसिंह के थानाधिकारी कक्ष की तलाशी ली गई । उक्त कक्ष में कोई संदिग्ध वस्तु व राशि नही मिली । संदिग्ध रीडर जयसिंह पुत्र स्व0 श्री रमेश सिंह जाति जाट उम्र 38 साल निवासी बरकोली पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर हाल कानि0 1607 महिला थाना भरतपुर के रीडर कक्ष की अलमारी में मिली संदिग्ध राशि 4,54,700/- रूपये एवं भंवरसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत उम्र 59 साल निवासी माची पुलिस थाना सदर करौली हाल उपनिरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना महिला थाना भरतपुर के सरकारी आवास से मिली संदिग्ध राशि 1,17,000/- रूपये के संबंध में कोई संतोषप्रद जबाब नहीं देने से स्पष्ट है कि उक्त राशि थानाधिकारी भंवरसिंह व उनके रीडर जयसिंह द्वारा अपने महिला पुलिस थाना भरतपुर के पदस्थापन के दौरान जानबूझकर खुद को सम्पन्न करने के आषय से अवैध रूप से अर्जित किया जाना प्रथम दृष्टया पाया गया है। अतः संदिग्ध भंवरसिंह थानाधिकारी व रीडर जयसिंह कानि का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 12,13(1)(बी),13(2)भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संषोधित 2018 का मामला पाया जाता है। संदिग्ध राशि 4,54,700/- व 1,17,000/- रूपये के अलावा कोई भी राषि व वस्तु कब्जा एसीबी नही ली गई है । अतः अग्रिम कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट मुख्यालय प्रेषित की जावेगी। बाद सम्पन्न कार्यवाही संदिग्ध अधिकारी भंवरसिंह थानाधिकारी व रीडर जयसिंह कानि को रूखसत कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह मय

हमराही जाप्ता के एसीबी कार्यालय भरतपुर के लिये रवाना हुआ। संदिग्ध राशि 5,71,700/- को जमा मालखाना करवाया गया। आकस्मिक चैकिगं वीडियो ग्राफी की डीवीडी प्रथक से तैयार की गई। संदिग्ध रीडर जयसिंह पुत्र स्व0 श्री रमेश सिंह जाति जाट उम्र 38 साल निवासी बरकोली पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर हाल कानि0 1607 महिला थाना भरतपुर के रीडर कक्ष की अलमारी में मिली संदिग्ध राशि 4,54,700/- रूपये एवं भंवरसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत उम्र 59 साल निवासी माची पुलिस थाना सदर करौली हाल उपनिरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना महिला थाना भरतपुर के सरकारी आवास से मिली संदिग्ध राशि 1,17,000/- रूपये उक्त राशि थानाधिकारी भंवरसिंह व उनके रीडर जयसिंह द्वारा अपने महिला पुलिस थाना भरतपुर के पदस्थापन के दौरान जानबूझकर खुद को सम्पन्न करने के आशय से अवैध रूप से अर्जित किया जाना प्रथम दृष्टया पाया जाने पर धारा 13(1)(बी),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है । भवदीय, (अमित सिंह) अति. पुलिस अधीक्षक, एसीबी भरतपुर।...........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमित सिंह,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 13(1)(बी),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1-श्री जयसिंह पुत्र स्व0 श्री रमेश सिंह जाति जाट उम्र 38 साल निवासी बरकोली पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर हाल कानि0 1607 रीडर थानाधिकारी महिला थाना भरतपुर, एवं 2.श्री भंवरसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत उम्र 59 साल निवासी माची पुलिस थाना सदर करौली हाल उपनिरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना महिला थाना भरतपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,धौलपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 148 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1605-09 दिनांक 16-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर । 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3-महानिरीक्षक पुलिस, भरतपुर रेंज, भरतपुर। 4-पुलिस अधीक्षक, जिला भरतपुर। 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,भरतपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURENDRA SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh
Choudhary
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 1[illegible]2/2024 1[illegible]4

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	06/10/1986				
2	Male	10/03/1965				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)